[2021] 11 एस. सी. आर. 573

गौरव कुमार बंसल

बनाम

भारत और अन्य का संघ

2021 का विविध आवेदन संख्या 1120

में

2021 की लिखित याचिका (सिविल) No.539

04 अक्टूबर, 2021

[एम. आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

कोविड महामारी-आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 -

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन. डी. एम. ए.) द्वारा कोविड-19-एन. डी. एम. ए. के कारण मरने वाले मृतकों के रिश्तेदारों को अनुग्रह सहायता के लिए दिनांक 11.09.2021 जारी किए गए दिशानिर्देश।

अनुग्रह भुगतान के रूप में Rs.50,000 की राशि की सिफारिश की गई

मृतक के निकट संबंधी-दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्यों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) से अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी और मृतक व्यक्ति के निकट संबंधी को अनुग्रह सहायता जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन द्वारा वितरित की जाएगी। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) से

Rs.50,000/- की राशि के साथ-साथ सटीक कारण बताते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के संबंध में निर्देश पारित किए गए

मृत्यु की संख्या, अर्थात, "कोविड-19 के कारण मृत्यु" मृतक के परिवार के सदस्यों के लिए, जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी।

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: विविध अनुप्रयोग

2021 का सं. 1120।

में। 2021 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 539।

तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., रजत नायर, अमित शर्मा, सुघोश सुब्रमण्यम, बी. वी. बलराम दास,

उपस्थित दलों के लिए सुमीर सोधी।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. एक विस्तृत निर्णय और दिनांक 30.06.2021 के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिया

(एन. डी. एम. ए.) और अनुच्छेद 16 में उपयुक्त प्राधिकारी निम्नानुसार हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 16. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ वर्तमान रिट याचिकाओं का निपटारा करते हैंः

1) हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश देते हैं कि

जिन व्यक्तियों की मृत्यु के कारण मृत्यु हुई है, उनके परिवार के सदस्यों को जीवन की हानि के कारण अनुग्रह सहायता के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करें।

कोविड-19, जैसा कि आपदा-कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के न्यूनतम मानकों के लिए डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 (iii) के तहत अनिवार्य है, कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के न्यूनतम मानकों के लिए पहले से ही अनुशंसित दिशानिर्देशों के अलावा। लेकिन, क्या

अनुग्रह सहायता के लिए दी जाने वाली उचित राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दी गई है जो टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए राशि निर्धारित करने पर विचार कर सकता है। एन. डी. आर.

एफ./एस. डी. आर. एफ. के तहत अन्य राहतों और प्राथमिकताओं के लिए निधि की आवश्यकता/उपलब्धता जैसे ऊपर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित और डी. एम. ए. 2005 के तहत दायित्व को पूरा करने के लिए रोकथाम, तैयारी, शमन और वसूली और अन्य राहतों के लिए आवश्यक राहत और निधि के अन्य न्यूनतम मानकों के लिए आवश्यक निधि। उपरोक्त अभ्यास और उचित दिशा-निर्देश आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, अनुशंसित;

2) उपयुक्त प्राधिकरण को कोविड-19 के कारण मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए सरल दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें मृत्यु का सही कारण, यानी "कोविड-19 के कारण मृत्यु" बताया जाता है।

इस तरह के दिशानिर्देश जारी करते समय, पैराग्राफ 13 में ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस तरह के दिशा-निर्देश मृतक के परिवार के सदस्यों को भी उपचार प्रदान कर सकते हैं जिनकी मृत्यु के कारण मृत्यु हो गई थी।

उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज में सुधार के लिए कोविड-19 को, यदि वे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज में उल्लिखित मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं हैं; और

3) भारत संघ इस XVth वित्त आयोग की रिपोर्ट में अनुच्छेद 8.131 वाली वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर उचित कदम उठाएगा।

अन्य हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श। गौरव कुमार बंसल बनाम।

भारत और अन्य का संघ [एम. आर. शाह, जे.]

2. पैरा 16 (1) के संदर्भ में उपरोक्त निर्देशों के तहत, एन. डी. एम. ए. को खाते में अनुग्रह सहायता के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने की आवश्यकता थी।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 12 (iii) (संक्षेप में, 'डी. एम. ए. 2005') के तहत आपदा-कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को जान का नुकसान, प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के न्यूनतम मानकों के लिए पहले से ही अनुशंसित दिशानिर्देशों के अलावा।

कोविड-19 द्वारा, 30.06.2021 से छह सप्ताह की अवधि के भीतर। इस न्यायालय ने विशेष रूप से यह भी कहा कि अनुग्रह सहायता के लिए कितनी उचित राशि की पेशकश की जानी चाहिए, यह एन.

डी. एम. ए. के विवेक पर छोड़ दिया गया है जो इस बात को ध्यान में रखते हुए राशि निर्धारित करने पर विचार कर सकता है कि -

दिनांक 1 के विस्तृत निर्णय और आदेश में की गई टिप्पणियाँ, जैसे कि अन्य राहतों के लिए एन. डी. आर. एफ./एस. डी. आर. एफ. के तहत निधि की आवश्यकता/उपलब्धता और राष्ट्रीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएँ और डी. एम. ए. 2005 के तहत दायित्व को पूरा करने के लिए रोकथाम, तैयारी, शमन और वसूली और अन्य राहतों के लिए आवश्यक राहत और निधि के अन्य न्यूनतम मानकों के लिए आवश्यक निधि।

3. दिनांक 16.08.2021 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने दिनांकित 30.06.2021 के फैसले के पैराग्राफ 16 (1) में निहित निर्देशों के अनुसार दिशानिर्देश तैयार करने का समय चार सप्ताह की और अवधि के लिए बढ़ा दिया। 4. में निहित निर्देशों के अनुपालन के संबंध में भारत संघ की ओर से एक हलफनामा/अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है।

अब एन. डी. एम. ए. ने डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 (iii) के तहत कोविड-19 के कारण मृतक के निकट संबंधियों को अनुग्रह सहायता के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिसके तहत एन. डी. एम. ए. ने कोविड-19 के कारण मृतक के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि के रूप में Rs.50,000/- की राशि की सिफारिश की है। यह कहा गया है कि अनुग्रह सहायता राज्य द्वारा राज्य से प्रदान की जाएगी। आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) और मृतक व्यक्ति के परिजन को अनुग्रह सहायता जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा वितरित की जाएगी।

संवितरण उक्त दिशानिर्देशों के खंड 8 के अनुसार होगा। दिशा-निर्देशों के प्रासंगिक खंड निम्नानुसार हैं:

" 5. पैरा 2 में उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण

एम. ओ. एच. एफ. डब्ल्यू. और आई. सी. एम. आर. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मृत्यु के कारण को कोविड-19 के रूप में प्रमाणित किए जाने के अधीन, कोविड-19 के कारण मृतक के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की जाती है।

6. अनुग्रह भुगतान की राशि: प्राधिकरण राहत कार्यों में शामिल या संबंधित लोगों सहित प्रति मृतक व्यक्ति Rs.50,000/- (केवल पचास हजार) की राशि की सिफारिश करता है।

8. संवितरण: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी. डी. एम. ए.)/जिला प्रशासन मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधियों को अनुग्रह सहायता का वितरण करेगा। द.

स्वास्थ्य विभाग (सी. एम. ओ. एच.), किसी मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त सी. एम. ओ. एच./प्राचार्य या एच. ओ. डी. चिकित्सा (यदि कोई जिले में मौजूद है) और एक विषय विशेषज्ञ, इन दिशानिर्देशों के अनुसार तथ्यों को सत्यापित करने के बाद कोविड-19 मृत्यु के लिए संशोधित आधिकारिक दस्तावेज जारी करने सहित आवश्यक उपचारात्मक उपायों का प्रस्ताव करेंगे। यदि समिति का निर्णय दावेदार के पक्ष में नहीं है, तो इसका एक स्पष्ट कारण दर्ज किया जाएगा। 10. निरंतर योजना: कोविड-19 से हुई मौतों से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह सहायता उन मौतों के लिए प्रदान की जाती रहेगी जो कोविड-19 महामारी के भविष्य के चरणों में भी हो सकती हैं, या अगली अधिसूचना तक।

ए. आर. ए. वी. कुमार बंसल बनाम भारत और अन्य का संघ [एम. आर. शाह, जे.]

5. अब जहां तक दिनांकित 30.06.2021 के फैसले के पैरा 16 (2) में निहित निर्देशों का संबंध है, पहला हलफनामा 08.09.2021 पर दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि पैराग्राफ 16 (2) में निहित इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से कोविड-19 से संबंधित मौतों के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए दिनांक 3.9.2021 के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आगे कहा गया है कि भारत के महापंजीयक के कार्यालय ने मृतक के परिजन को मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए दिनांक 3.9.2021 का एक परिपत्र भी जारी किया है। दिनांकित 3.9.2021 दिशानिर्देशों के तहत, यह निम्नानुसार प्रदान किया गया है: " भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 से हुई मौतों के लिए आधिकारिक दस्तावेज के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2021 के डब्ल्यू. पी. (सिविल) संख्या 539 और डब्ल्यू. पी. (सिविल) 554 में दिनांकित 30.06.2021 आदेश दिया।

1. पृष्ठभूमि

कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय कल्याण विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों और कोविड से होने वाली मौतों की सूचना देने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विशिष्ट दिशानिर्देश जारी कर रहा है। राज्यों में प्रासंगिक अधिकारी /

केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 से संबंधित मौतों की सही रिकॉर्डिंग के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2021 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 539 और 554 में केंद्र सरकार को कोविड-19 से मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को कोविड-19 से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए सरल दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया, जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी। माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया था कि इस तरह के दिशानिर्देश कोविड-

19 के कारण मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को मृत्यु के कारण के चिकित्सा प्रमाण पत्र/उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेज में सुधार के लिए भी उपाय प्रदान कर सकते हैं।

2. मार्गदर्शक सिद्धांत आई. कोविड-19 के मामले, इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य से, वे हैं जिनका निदान सकारात्मक आर. टी.-पी. सी. आर./आणविक परीक्षण/आर. ए. टी. के माध्यम से किया जाता है या अस्पताल/[2021] 11 एस. सी. आर. में जांच के माध्यम से नैदानिक रूप से निर्धारित किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ii. विषाक्तता, आत्महत्या, हत्या, दुर्घटना आदि के कारण होने वाली मौतों को कोविड-19 की मौत नहीं माना जाएगा, भले ही कोविड-19 एक साथ होने वाली स्थिति हो। 3. परिदृश्य आधारित दृष्टिकोण और हस्तक्षेप

ii. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई. सी. एम. आर.) के अध्ययन के अनुसार, 95 प्रतिशत अर्थात कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 25 दिनों के भीतर मौतें होती हैं। इस दायरे को व्यापक और अधिक समावेशी बनाने के लिए, परीक्षण की तारीख से 30 दिनों के भीतर या चिकित्सकीय रूप से कोविड-19 मामले के रूप में निर्धारित होने की तारीख से होने वाली मौतों को कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों के रूप में माना जाएगा, भले ही मृत्यु अस्पताल/रोगी सुविधा के बाहर हो। iii. हालाँकि, एक कोविड-19 मामला, जबकि रोगी में अस्पताल में भर्ती किया गया था। सुविधा, और जो 30 दिनों के बाद भी उसी प्रवेश के रूप में जारी रहा, और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, उसे कोविड-19 मृत्यु के रूप में माना जाएगा।

iv. ऐसे मामलों में जहां एम. सी. सी. डी. उपलब्ध नहीं है या मृतक के परिजन मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं हैं। एम. सी. सी. डी. (प्रपत्र 4/4 ए), और जो उपरोक्त परिदृश्यों में शामिल नहीं हैं, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कोविड के लिए आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति को अधिसूचित करेंगे, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी (सी. एम. ओ. एच.), अतिरिक्त सी. एम. ओ. एच./प्राचार्य या मेडिकल कॉलेज के एच. ओ. डी. मेडिसिन (यदि कोई जिले में मौजूद है) और एक विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे।

19 मृत्यु। समिति नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करेगी:

ए। मृतक के परिजन कोविड-19 मृत्यु के लिए उपयुक्त आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए जिला कलेक्टर को एक याचिका प्रस्तुत करेंगे।

गौरव कुमार बंसल बनाम। भारत और अन्य का संघ [एम. आर. शाह, जे.]

बी। कोविड-19 मृत्यु के लिए आधिकारिक दस्तावेज उपरोक्त जिला स्तरीय समिति द्वारा सभी तथ्यों की उचित जांच और सत्यापन के बाद इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न प्रारूप में जारी किया जाएगा।

सी। कोविड-19 से हुई मौतों के लिए आधिकारिक दस्तावेज राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य पंजीयकों और पंजीयक को भी सूचित किया जाएगा जन्म और मृत्यु, जिन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया।

डी। समिति मृतक के निकट संबंधियों की शिकायतों की भी जांच करेगी और आवश्यक उपचारात्मक उपायों का प्रस्ताव करेगी। इन दिशानिर्देशों के अनुसार तथ्यों को सत्यापित करने के बाद कोविड-19 मृत्यु के लिए संशोधित आधिकारिक दस्तावेज जारी करना शामिल है।

ई.

ई. कोविड-19 मृत्यु के लिए आधिकारिक दस्तावेज जारी करने और शिकायतों के निवारण के लिए आवेदनों का निपटान आवेदन/शिकायत जमा करने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

6. इसमें प्रावधान किया गया है कि जहर, आत्महत्या, हत्या, दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों आदि को कोविड-19 मौत नहीं माना जाएगा, भले ही कोविड-19 एक साथ होने वाली स्थिति हो।

7. सुनवाई की अंतिम तिथि पर, कुछ पर चिंता व्यक्त की गई थी

विषाक्तता, आत्महत्या, हत्या, दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों आदि सहित दिनांकित 3.9.2021 दिशानिर्देशों के खंडों को कोविड-19 से होने वाली मौतों के रूप में नहीं माना जाएगा, भले ही कोविड-19 इसके साथ हो।

स्थिति। 7.1 प्रमाणीकरण के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में भी चिंता व्यक्त की गई।

मृत्यु। इसके लिए, खंड 9 में दिनांकित 11.09.2021 दिशानिर्देशों के तहत, जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति के गठन के संबंध में एक प्रावधान किया गया है, जिसमें दिनांकित 11.09.2021 दिशानिर्देशों के खंड 9 में उल्लिखित सदस्य शामिल हैं, जिसे यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।

8. इस न्यायालय द्वारा 13.09.2021 पर सुनवाई के दौरान व्यक्त किए गए कुछ मुद्दों/चिंताओं पर भारत संघ की ओर से दिनांकित 22.09.2021 का एक और अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है और इसके जवाब में इसे निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके द्वारा व्यक्त की गई धारणाएँ

केंद्र का अधीनता

माननीय न्यायालय

सरकार

चूंकि दिशानिर्देशों में व्यक्त किया गया है कि वे संभावित प्रकृति के हैं, इसलिए इस माननीय न्यायालय द्वारा इस बारे में एक चिंता को उजागर किया गया था

इस संबंध में यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि पहले से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि:

कोविड-19 मामले, उद्देश्य के लिए

आई.

ये दिशा-निर्देश वे हैं जो

उन प्रमाणपत्रों की वैधता जो लागू होने से पहले ही अस्पतालों/सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किए जा चुके हैं

सकारात्मक आर. टी.-पी. सी. आर./के माध्यम से निदान किया गया आणविक परीक्षण/आर. ए. टी या

चिकित्

सकीय रूप से

ए में जांच के माध्यम से निर्धारित किया गया

दिनांकित दिशानिर्देश 3.09.2021।

एक उपचार द्वारा अस्पताल/रोगी सुविधा

एक चिंता जताई गई थी कि क्या वहाँ था

चिकित्सक, अस्पताल में भर्ती होने के दौरान

प्रमाण पत्र जारी कराने का विकल्प

रोगी सुविधा।

पूर्व 3.09.2021 को ठीक किया गया या फिर से जारी किया गया, यदि वे

3.09.2021 के अनुसार नहीं थे

ii. कोविड-19 के ऐसे मामले जिनका समाधान नहीं किया गया है

और या तो अस्पताल में या अस्पताल में मृत्यु हो गई है

दिशानिर्देश।

घर, और जहाँ का एक चिकित्सा प्रमाणपत्र

मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि

फॉर्म 4 और 4 ए में मृत्यु का कारण (एम. सी. सी. डी.)

पंजीकरण प्राधिकरण को जारी किया गया है, जैसा कि

किस प्रक्रिया के बारे में विचार-विमर्श किया गया

पंजीकरण की धारा 10 के तहत आवश्यक

वहाँ मामलों में अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है

जन्म और मृत्यु (आरबीडी) अधिनियम, 1969

अस्पताल और अस्पताल के बीच विवाद उत्पन्न होता है

कोविड-19 मृत्यु के रूप में माना जाता है।

मृत्यु का कारण और कौन पता लगाएगा कि क्या मृत्यु का कारण कोविड-19 था

ए। दायरा व्यापक और अधिक बनाने के लिए

संबंधित है या नहीं।

सम्मिलित, 30 के भीतर होने वाली
मौतें
परीक्षण की तारीख से या से दिन

चिकित्सकीय होने की तारीख

एक कोविड-19 मामले के रूप में
निर्धारित किया गया,

के कारण होने वाली मौतों के रूप में
माना जाएगा
कोविड-19 ', भले ही मृत्यु हो जाए

अस्पताल के बाहर/रोगी के अंदर

सुविधा।

बी। इसके अलावा, एक कोविड-19
मामला, जबकि

अस्पताल में भर्ती/रोगी

सुविधा, और कौन बना रहा

30 दिनों से अधिक समय तक भर्ती
रहे और उनकी मृत्यु हो गई।

बाद में, एक के रूप में माना जाएगा

कोविड-19 से मृत्यु।

हाल ही में जारी किया गया। यह प्रस्तुत किया
जाता है कि स्वतंत्रता
अगले रिश्तेदारों को दिया जाएगा

मृतक के समक्ष शिकायत करने के लिए

संबंधित जिला स्तरीय समिति के रूप में

दिनांकित 3.09.2021 दिशानिर्देशों में
परिकल्पना की गई है कि

तथापि, दिनांकित 3.09.2021 दिशानिर्देश
जारी किया गया मृत्यु प्रमाणपत्र इसे मान्यता नहीं देता है

' कोविड-19 के कारण मृत्यु "और कुछ का उल्लेख है

मृत्यु प्रमाणपत्र में अन्य आकस्मिक कारण

इस तरह के आवेदन पर जिला स्तर समिति करेगी जांच

द.

समकालीन चिकित्सा अभिलेख

दिशानिर्देशों के आलोक में मृतक रोगी

आवेदक का मामला वास्तव में इसके अंतर्गत आता है -
दिशा-निर्देशों के तहत विचार किए गए मापदंड

दिनांक 3.09.2021, फिर जिला स्तर गौरव कुमार बंसल v.

भारत और अन्य का संघ [एम. आर. शाह, जे.]

समिति मृतक के लिए केंद्र सरकार/एस. डी. आर. एफ. द्वारा प्रदान की गई वित्तीय/अन्य सहायता के लिए पात्र उसकी मृत्यु को कोविड से संबंधित मृत्यु के रूप में प्रमाणित करने वाले दिनांकित दिशानिर्देशों के अनुसार एक नया या सही प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसके अलावा, जिला स्तरीय समिति

दिशानिर्देशों में प्रस्तावित मृत्यु के कारण के संबंध में अस्पताल और परिवार के बीच किसी भी विवाद पर भी विचार किया जाएगा। यह भी सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आई. सी. एम. आर. ने आगे स्पष्ट किया है कि कोविड-19 से होने वाली मौतों का संकेत देने वाला मृत्यु प्रमाण पत्र या तो इन दिशानिर्देशों के लागू होने से पहले ही जारी किया जा चुका है या जिला स्तरीय समिति द्वारा संशोधित किया गया है, जिसे किसी भी मौत को 'कोविड-19 के कारण हुई मौत' के रूप में मानने के लिए वैध दस्तावेज के रूप में माना जाएगा।

इस माननीय न्यायालय द्वारा आगे यह कहा गया कि इसकी पवित्रता क्या होगी?

दस्तावेज़ जो इन दिशानिर्देशों के लागू होने से पहले मृतक रोगी के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इस माननीय न्यायालय ने कहा कि समिति उन लोगों को वित्तीय लाभ देने के लिए किस प्रकार के दस्तावेजों पर विचार करेगी जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जिन्हें वर्तमान दिशानिर्देशों के लागू होने से पहले प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

प्रपत्र 4/4 ए में मृत्यु (एम. सी. सी. डी.) वैध रहेगा, जिसे कार्यालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांक 3.09.2021 के अनुसरण में जारी किया जा सकता है।
भारत के महापंजीयक।

मामले की सुनवाई के दौरान उस समय सीमा के बारे में चिंता जताई गई थी जिसमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिनांकित दिशानिर्देशों में उल्लिखित समिति का गठन किया जाएगा और समिति के समक्ष रखे गए विवादों को हल करने के लिए समय सीमा क्या होगी।

इस संबंध में यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि
उक्त की स्थापना के लिए समयरेखा

राज्यों द्वारा समिति इस प्रकार निर्धारित की जा सकती है -

30 जिन दिनों के लिए उपयुक्त निर्देश हो सकते हैं
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसके अलावा, उपरोक्त के अलावा, माननीय न्यायालय एक आदेश भी पारित कर सकता है।

30 दिनों के भीतर उक्त समिति का गठन करें न्याय के हित में।

इस दौरान एक और चिंता जताई गई थी

इस संबंध में यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि सभी राज्य सरकारें वर्तमान याचिका में प्रतिवादी हैं और दिशानिर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में बनाए गए हैं, इसलिए इसे लागू करना राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी है। इसके अलावा, यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में एक आदेश जारी कर सकता है जिसमें सभी राज्यों को उक्त दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश दिया जाए।

आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ; हालाँकि, उनके कार्यान्वयन और बाध्यकारी प्रभाव

संबंधित राज्य सरकारें एक बनी हुई हैं

सवाल करते हैं।

यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबंध में इस माननीय न्यायालय द्वारा उपयुक्त निर्देश पारित किए जा सकते हैं, जिसके तहत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/आई. सी. एम. आर. के दिशानिर्देशों के अनुसार कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के भीतर आत्महत्या करने वाले लोगों के परिवार के सदस्य भी डी. एम. ए. की धारा 12 (iii) के तहत एन. डी. एम. ए. द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार डी. आर. एफ. के तहत दी गई वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

दिनांक 13.09.2021 की सुनवाई के दौरान, इस माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग बीमारी से पीड़ित हैं। कोविड-19 ने आत्महत्या कर ली। इस माननीय न्यायालय ने कहा कि उक्त वर्ग के लोग दिनांकित दिशानिर्देशों का हिस्सा नहीं हैं

3.09.2021 . तदनुसार, यह विचार-विमर्श किया गया कि ऐसे वर्ग के लोगों के मामले पर भी उपयुक्त रूप से विचार किया जाना चाहिए और उन्हें डी. एम. ए. की धारा 12 (iii) के तहत बनाए जाने वाले दिशानिर्देशों के तहत भारत संघ द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के दायरे में भी शामिल किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. श्री तुषार मेहता को सुनने के बाद, विद्वान सॉलिसिटर जनरल

कि एन. डी. एम. ए. ने पूर्व के रूप में Rs.50,000/- की राशि की सिफारिश की है। कोविड-19 के कारण मृतक के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि का भुगतान।

दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि राज्यों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) से अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी और मृतक व्यक्ति के परिजन को अनुग्रह सहायता जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला द्वारा वितरित की जाएगी।

प्रशासन।

10. 30.06.2021 दिनांकित हमारे पहले के आदेश को आगे बढ़ाते हुए, यह है

निम्नानुसार निर्देशित:

(i)

कि मृतक के अगले रिश्तेदार की मृत्यु कोविड के कारण हुई

19 1, 000/- की राशि की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसे डी. एम. ए., 2005 की धारा 12 (iii) के तहत अनुग्रह राशि के रूप में माना जाएगा और जो न्यूनतम होगा और जो न्यूनतम राशि से अधिक होगा।
भारत संघ/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित/प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति/राशि

विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत;

(ख)

संबंधित राज्यों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) से;
कि उसके निकट संबंधियों को अनुग्रह सहायता

iii)

मृतक को जिला आपदा द्वारा वितरित किया जाएगा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन;

(iv)

कि जिला आपदा का पूरा विवरण और पता

प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन जो है रुपये की अनुग्रह सहायता वितरित करने की आवश्यकता है। 50,000 / - प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित किया जाएगा और व्यापक प्रचार किया जाएगा।

कि यह आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर प्रकाशित किया जाएगा; वी कुमार बंसल बनाम।

भारत और अन्य का संघ [एम. आर. शाह, जे.]

यह भी निर्देश दिया जाता है कि ऐसी जानकारी गाँव/तालुक/ज़िले के प्रमुख कार्यालयों जैसे कि ग्राम पंचायत कार्यालय, तालुक पंचायत कार्यालय में भी प्रकाशित की जाएगी।

जिला कलेक्टर कार्यालय, निगम कार्यालय आदि।;

कि रुपये की ऐसी अनुग्रह सहायता। 50,000 / - संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन को आवेदन जमा करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर कोविड-19 के कारण मृतक की मृत्यु के प्रमाण और मृत्यु के कारण को "कोविड के कारण मृत्यु" के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।

19 " ;

कि मृत्यु को कोविड-19 मृत्यु के रूप में प्रमाणित किए जाने पर दिनांकित 11.09.2021 दिशानिर्देशों के अनुसार वितरित की जाने वाली राशि, जिसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लिखित मृत्यु का कारण निर्णायक नहीं होगा और यदि अन्य दस्तावेज दिए गए हैं जैसा कि चर्चा की गई है

इसके तहत, मृतक के अगले रिश्तेदार की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई, वे एक लाख रुपये की अनुग्रह सहायता के हकदार होंगे। 50,000 /

- ;

कि मृत्यु के प्रमाणन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में, पीड़ित व्यक्ति संपर्क कर सकता है जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी (सी. एम. ओ. एच.),

अतिरिक्त सी. एम. ओ. एच./प्राचार्य या एच. ओ. डी. चिकित्सा

महाविद्यालय (यदि एक जिले में मौजूद है) और एक विषय विशेषज्ञ, जो जारी करने सहित उपचारात्मक उपाय करेगा

कोविड-19 के बाद हुई मौत के लिए संशोधित आधिकारिक दस्तावेज आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर तथ्यों का सत्यापन करना जो दर्शाता है कि मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है;

कि प्राधिकरण/समिति मृतक के मामले को कोविड-19 मानते हुए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करेगी। सभी राज्य [2021] 11 एस. सी. आर. का गठन करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसी समिति और जिला स्तर पर उक्त समिति के पते का स्थान और पूरा विवरण व्यापक प्रसार वाले प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित किया जाएगा।

जहाँ तक निगम क्षेत्र का संबंध है, एक समान

उप-समिति का गठन किया जाए

संबंधित नगरपालिका;

यह आगे निर्देश दिया जाता है कि यदि निर्णय

x)

समिति दावेदार के पक्ष में नहीं है, इसका एक स्पष्ट कारण समिति द्वारा दर्ज किया जाएगा जिसे शिकायत निवारण समिति कहा जाता है।

xi)

सहमति के अनुसार, और दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुग्रह राशि कोविड-19 से प्रभावित परिवारों को भविष्य में होने वाली मौतों के लिए सहायता प्रदान करना जारी रहेगा।

कोविड-19 के चरण भी।

11. अब जहाँ तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हमारे पूर्व आदेश दिनांक 30.06.2021 के पैरा 16 (2) में निहित निर्देश /

मृत्यु का सटीक कारण बताते हुए आधिकारिक दस्तावेज, अर्थात, कोविड-19 के कारण मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को "कोविड-19 के कारण मृत्यु" का संबंध है, भारत संघ की ओर से दिनांक 8.9.2021 पर दायर अतिरिक्त हलफनामे और दिनांक 22.09.2021 के अतिरिक्त हलफनामे में बाद के स्पष्टीकरण और दिनांक 3.9.2021 के दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए, हमारे पहले के आदेश दिनांक 30.06.2021 को आगे बढ़ाते हुए, इसे आगे निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:

कोविड-19 मामले, मौतों पर विचार करने के उद्देश्य से

(i)

कोविड-19 के कारण मरने वालों में से वे हैं जिनका सकारात्मक आर. टी.-पी. सी. आर./आणविक परीक्षण/आर. ए. टी. के माध्यम से निदान किया जाता है।

या अस्पताल में भर्ती होने के दौरान एक उपचार चिकित्सक द्वारा अस्पताल/रोगी सुविधा में जांच के माध्यम से नैदानिक रूप से निर्धारित किया जाता है।

अस्पताल/रोगी सुविधा;

(ii) परीक्षण की तारीख से 30 दिनों के भीतर या चिकित्सकीय रूप से निर्धारित होने की तारीख से होने वाली मौतों को वी कुमार बंसल v.

साथ ही, अस्पताल/रोगी सुविधा में भर्ती होने के दौरान कोविड-19 के मामले और जो 30 दिनों से अधिक समय तक भर्ती रहे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें भी कोविड-19 की मृत्यु माना जाएगा। कोविड-19 मामले जिनका समाधान नहीं किया गया है और जिनकी अस्पताल में या घर पर मृत्यु हो गई है, और जहां जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) की धारा 10 के तहत आवश्यक पंजीकरण प्राधिकरण को फॉर्म 4 और 4 ए में मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र (एमसीसीडी) जारी किया गया है।

अधिनियम, 1969 को कोविड-19 मृत्यु के रूप में भी माना जाएगा। हालांकि, यह देखा जाता है और स्पष्ट किया जाता है कि चाहे कोई भी कारण हो मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लिखित मृत्यु का, यदि कोई परिवार

जैसा कि ऊपर देखा गया है, आवश्यक दस्तावेज और कोई भी राज्य रुपये के अनुग्रह भुगतान से इनकार नहीं करेगा। 50,000 / - इस आधार पर कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण "कोविड-19 के कारण मृत्यु" के रूप में उल्लिखित नहीं है; सभी संबंधित अस्पताल जहां रोगी को भर्ती किया गया था और उपचार दिया गया था, वे मृतक के परिवार के सदस्य को उपचार के सभी आवश्यक दस्तावेज आदि प्रदान करेंगे, जब भी और जब भी मांग की जाएगी, और यदि कोई अस्पताल और/या वह स्थान जहां मृतक ने उपचार लिया था, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करता है, तो शिकायत निवारण समिति के लिए ऐसी जानकारी के लिए कॉल करना खुला रहेगा और संबंधित अस्पताल/संस्थान जहां मृतक को भर्ती किया गया था, उसे यह स्थापित करने के उद्देश्य से आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना होगा कि मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी।

मृतक के परिवार का कोई सदस्य जिसने कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के भीतर आत्महत्या कर ली हो, वह भी वित्तीय सहायता/अनुग्रह राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

रुपये की सहायता। 50,000 / - जैसा कि डी. एम. ए., 2005 की धारा 12 (iii) के तहत एन. डी. एम. ए. द्वारा जारी दिनांक 11.09.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार एस. डी. आर. एफ. के तहत दिया गया है, जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है; [2021] 11 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

यदि मृतक के परिवार के किसी सदस्य/रिश्तेदार की मृत्यु के कारण कोविड 0-19 को रुपये के अनुग्रह भुगतान की प्राप्ति न होने के संबंध में कोई शिकायत है। 50,000 / - , यह पीड़ित दावेदार के लिए शिकायत निवारण से संपर्क करने के लिए खुला रहेगा

मृतक रोगी का समकालीन चिकित्सा रिकॉर्ड, और उक्त शिकायत निवारण समिति से संपर्क करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लें और जैसा कि ऊपर देखा गया है समिति के पास संबंधित अस्पताल/अस्पतालों से विवरण/दस्तावेज मंगाने की शक्तियां होंगी जहां से मृतक ने इलाज कराया था।

शिकायत निवारण समिति किसी भी तकनीकी से बचने के लिए और सभी संबंधित प्राधिकारी सहायता के रूप में कार्य करेंगे, ताकि उन लोगों के आँसू पोंछे जा सकें जो कोविड-19 के कारण परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के कारण पीड़ित हैं। यह भी निर्देश दिया जाता है कि पहले से जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्रों के मामलों में और मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य मृत्यु में उल्लिखित मृत्यु के कारण से व्यथित है

पहले से जारी प्रमाण पत्र, पीड़ित व्यक्ति के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और/या पंजीकरण प्राधिकरण जारी करने वाले उपयुक्त प्राधिकारी को स्थानांतरित करने और आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए खुला होगा जैसा कि देखा गया है।

इसके अलावा, सकारात्मक आर. टी.-पी. सी. आर./आणविक परीक्षण/आर. ए. टी. जैसे दस्तावेजों के उत्पादन सहित या अस्पताल/रोगी सुविधा में भर्ती होने के दौरान एक इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा अस्पताल/रोगी सुविधा में जांच के माध्यम से नैदानिक रूप से निर्धारित, संबंधित प्राधिकारी संशोधन/निर्धारण करेगा।

ऐसे मृत्यु प्रमाणपत्रों में संशोधन करें। यदि व्यक्ति अभी भी दुखी है,

पीड़ित व्यक्ति के लिए उपरोक्त रूप में गठित शिकायत निवारण समिति से संपर्क करने का अधिकार होगा और संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण शिकायत निवारण समिति द्वारा निर्देशित मृत्यु प्रमाण पत्र का अनुसमर्थन/संशोधन करेगा।

राव कुमार बंसल बनाम। भारत और अन्य का संघ [एम. आर. शाह, जे.]

. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए),

भारत संघ के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश देने का निर्देश दिया गया है

ऊपर जारी किए गए आयन जो सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी होंगे /

रैटोरीज।

. विविध आवेदन संख्या 1120/2021 का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

विविध आवेदन का निपटारा किया गया।

राल।